न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. GCMS-2022/717 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज बजरंगलाल/पाबली	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में ज
	अन्यत्र स्थानान्तरित किये जाने के संबंध में कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है एव ना ही ऐसे प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की गई हैं। अतः उक्त प्रार्थना पत्र बाबत विचारण कार्यवाही स्थगित किये जाने सिर्फ वकील प्रतिवादी की प्रकरण में निर्णय पारित किये जानपे में देरीना किये जाने के उद्देश्य से पेश किया जाने का पाया जाने पर प्रार्थना पत्र बाबत विचारण कार्यवाही स्थगित किये जाने खारिज किया जाता हैं। प्रकरण में आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गयी। वास्ते आदेश मिसल दिनांक 24.07.2025 को पेश हो। राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
24/07/25	वास्ते आदेश मिसल आज पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस पूर्व में सुनी जा चुकी हैं। दौराने बहस वकील वादी, वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3, 6 ता 12 व 15 ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वादपत्र अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादी सं0 4 व 5 ने दौराने बहस कहा कि तहसीलदार नीमकाथाना ने वादी के बहकावे में आकर पक्षकारान को बिना नोटिस जारी किये ही व मौके पर [illegible] विभाजन प्रस्ताव तैयार किया हैं [illegible] भी अलग अलग डाले गये हैं। विभाजन प्रस्ताव में मुझे जमीन अन्तिम छोर पर दी गई है मेरी प्राप्त जमीन में ही शामलाती कुआं को भी शामिल कर दिया हैं। अतः तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव को खारिज कर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का आदेश फरमाने की कृपा करें।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:49:34 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव, आपत्ति विभाजन प्रस्ताव एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रतिवादी सं0 5 ने वादग्रस्त आराजी में अपना समस्त हिस्सा का बेचान जरिए रजिस्टर्ड लेख दिनांकित 20.03.2025 को आशू मीणा पुत्र श्री हमीराराम मीणा के पक्ष में कर दिया था उक्त आशू मीणा एवं अन्य पक्षकारान तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय मौके पर उपस्थित थे जिनके उपस्थिति के हस्ताक्षर विभाजन प्रस्ताव में संलग्न हैं। कुआं सभी का शामलाती में हैं एवं यह अचल सम्पति हैं जो किसी एक पक्षकार के हिस्से में ही आ सकता हैं और प्रतिवादी सं0 4 की अन्तिम छोर पर जमीन दिये जाने की आपति भी उचित नही हैं क्योकि सभी पक्षकारान की भूमि का आगे का लगता हुआ हिस्सा सड़क/रास्ता पर हैं एवं पक्षकारान के मध्य बंटवारा पृथक्–पृथक् मीन बट्टा नम्बर डालते हुए बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त के आधार पर तैयार किया गया हैं। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर वकील प्रतिवादी सं0 4 व 5 का प्रार्थना पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव खारिज किया जाता हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 24.07.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:49:34 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. बजरंग लाल पुत्र सम्पतराम जाति मीणा निवासी वार्ड नं. 24 छावनी, नीमकाथाना जिला सीकर।

–वादी

बनाम

1. श्रीमती चावली देवी पत्नी किशोर सिंह वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 278 सन् 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री उमेश खण्डेलवाल एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री होशियार सिंह बड़सरा, श्री नवीन यादव, श्री उमेश गुप्ता, श्री अड़ीसाल मीणा एडवोकेट्स मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।** .निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24 माह 07 सन् 2025** को जारी की गई।

दस्तखत............
ओहदा...............
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.08.11 17:49:34 IST
Reason: SelfAttested